न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 389/2015

प्रार्थी :-

1. तहसीलदार, जैतारण
   लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. भंवरू पुत्र शंकर
2. हुक्मा पुत्र शंकर
   जातियान-दरोगा,निवासी-निम्बोल
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.22.07.2015**

उपस्थितः- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 22/11/2017**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी सरहद मौजा-निम्बोल, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 400 रकबा 20-04 बीघा किस्म बा0दो0 की आई हुई हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थीगण ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थीगण अधिकारी है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी में से रकबा 20-04 बीघा किस्म बारानी दोयम पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा हैं और भूमि की कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी हैं। उक्त भूमि सरहद मौजा-निम्बोल, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 400 रकबा 20-04 बीघा किस्म बा0दो0 अदालत हाजा के अधिकार क्षैत्र में हैं। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृर्षि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 15/06/2015 को प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं, जो समयावधि में हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रति0 को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की इस्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये नोटिसेज वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रति0 को बावजूद सूचना / तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। सरकारी पैरोकार को सुना गया। वस्तुतः उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 400 रकबा 20-04 बीघा का दिनांक 25/10/2016 को किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ (सीमेन्ट उद्योग) भू-रूपान्तरण हो चुका हैं। उक्त भूमि राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षैत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007, के तहत् एवं राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(क) के तहत् नियमानुसार राजकोष में शुल्क जमा कराने के उपरान्त उक्त भूमि वास्ते औद्योगिक प्रयोजन के रूप में रूपान्तरित की गई हैं। इस प्रकार उद्योग स्थापित करने दौरान उसी उद्योग में शामिल आवश्यक सुविधाऐं जैसे कि पोस्ट ऑफिस, आवासीय कॉलोनी कर्मचारियों व स्टॉफ के निवास हेतु पानी की सप्लाई, विद्युत सप्लाई, हॉस्पिटल, बैंक आदि समस्त प्रकार के निर्माण किये जा सकेगें। इन सभी निर्माणों को सम्मिलित करते हुए ही इस अधिनियम के तहत् नियम 07(IV) के तहत् इसी अधिनियम के नियम 9(डी) के तहत् भू–रूपान्तरण किया गया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(24) के तहत् भूमि से अभिप्राय उस भूमि से होगा जो कृषि भूमि, उपवन, चारागाह व उन पर निर्मित मकान, बाड़े, सिंचाई के प्रयोजनार्थ से होगा। जबकि इस प्रकरण में वर्णित भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–रूपान्तरणशुदा भूमि हैं। जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता हैं।

अतः उक्त विवादित आराजी की किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ (सीमेन्ट उद्योग) होने से सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 22/11/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)